(As Approved by the Coordination Committee in its meeting held on 25/10/2017 and Adopted by Devi Ahilya Vishwavidyalaya in its EC meeting held on 04/12/2017).

STATUTE No. 40

विश्वविद्यालय और संबंधित महाविद्यालयों में रैगिंग की प्रथा रोकने के लिये विशेश परिनियम

- 1 यह विशेश परिनियम विश्वविद्यालय और सम्बन्ध महाविद्यालयों से रैगिंग की कुप्रथा समाप्त करने के लिये स्थापित किया जा रहा है।
- इस परिनियम में निहित अनुदेश विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय और सम्बन्ध छात्रावास में होने वाली किसी घटना के लिये लागू होगे।
- 3 रैगिंग में निम्नलिखित अथवा इनमें से एक व्यवहार अथवा कार्य शामिल होगा :--
 - (1) शारीरिक आघात जैसे चोट पहुंचाना, चाँटा मारना, पीटना अथवा कोई दण्ड दना।
 - (2) मानसिक आघात जैसे मानसिक क्लेश पहुंचाना, छेड़ना, अपमानित करना, डाँटना आदि।
 - (3) अश्लील अपमान जैसे असभ्य चुटकुले सुनाना और असभ्य व्यवहार करना अथवा ऐसा करने के लिये बाध्य करना।
 - (4) सहपाठियों के साथ अनियंत्रित व्यवहार जैसे हुल्लड़ मचाना, चीखना, चिल्लाना आदि।
- 4 ऐसी किसी घटना की जानकारी प्राप्त होने पर अथवा ऐसी किसी घटना का अवलोकन करने पर महाविद्यालय के प्राचार्य अथवा विश्वविद्यालय के कुलपित को कोई भी विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक या कोई नागरिक अपनी शिकायत दर्ज कर सकेगा।ऐसी शिकायत को प्राचार्य महाविद्यालयों और कुलपित विश्वविद्यालयों में गठित प्रॉक्टोरियल बोर्ड को सौपेगे। इस बोर्ड में चार विरश्ठ शिक्षक, दो विरश्ठ विद्यार्थी और दो अभिभावक सदस्य के रूप में प्राचार्य/कुलपित द्वारा मनोनीत किये जाऐगे। इस हेतु प्रॉक्टोरियल बोर्ड की विशेश बैठक की सूचना

- बोर्ड में मनोनीत वरिश्ठतम प्राध्यापक द्वारा सभी सदस्यों को दी जाएगी। यह वरिश्ठतम प्राध्यापक मुख्य प्रॉक्टर कहलाएगें।
- 5 प्रॉक्टोरियल बोर्ड प्रकरण की छानबीन करेगा और अपनी अनुशंसा महाविद्यालय के प्राचार्य / विश्वविद्यालय के कुलपित को देगा।
- 6 प्रॉक्टोरियल बोर्ड की अनुशंसा पर महाविद्यालय के प्राचार्य / विश्वविद्यालय के कुलपित आवश्यकतानुसार कार्यवाही कर सकेगें। दोशी पाए जाने पर संबंधित छात्र को निम्नानुसार दण्ड जा सकेगा ——
 - (1) महाविद्यालय / विश्वविद्यालय में एक वर्श / दो वर्श के लिये निश्कासन।
 - (2) राज्य के किसी भी महाविद्यालय / विश्वविद्यालय में दो वर्श तक प्रवेश पर रोक।
 - (3) दोशी छात्र को दण्ड के विरूद्ध अपील करने का अधिकार होगा। यह अपील महाविद्यालय के प्राचार्य / विश्वविद्यालय के कुलपति को सम्बोधित होगी।
 - (4) महाविद्यालय के प्राचार्य / विश्वविद्यालय के कुलपित और प्रॉक्टोरियल बोर्ड को ऐसी किसी भी घटना की विस्तृत जाँच संस्थित करने के पूर्ण अधिकार होंगे और इस हेतु उच्च स्तर से स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं होगा, लेकिन की गई कार्यवाही की सूचना राज्य शासन को देना अनिवार्य होगा।
- यदि रैगिंग का कृत्य किसी पूर्व छात्र अथवा अछात्र द्वारा किया गया हो, तो ऐस व्यक्ति को पुलिस को सुपुर्द करने का अधिकार प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपित को होगा। इनकी शिकायत पर पुलिस को दोशी व्यक्ति को हिरासत में लेना और एफ.आय.आर. दर्ज करना आवश्यक होगा।